

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या:- 6278938 / पटना, दिनांक :- 23/09/2026

ग्राOविO-R-504/26/2023-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-249049)

श्री राजाराम पंडित, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-220362), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रानीगंज (अररिया) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमौर (पूर्नियां) के विरुद्ध रानीगंज व्यापार मंडल सहयोग समिति का निर्वाचन दिनांक-17.10.2017 में प्रयुक्त मतदाता सूची एवं अन्य कागजात मतगणना के तिथि के पश्चात मुहरबंद बक्सा में बन्द करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) को उपलब्ध नहीं कराये जाने का मामला संज्ञान में आने पर जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक-250 दिनांक-15.04.2023 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ।

जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर विभागीय पत्रांक-1928009 दिनांक-21.07.2023 द्वारा श्री राजाराम पंडित से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमौर (पूर्नियां) के पत्रांक-1239 दिनांक-19.06.2026 के माध्यम से श्री पंडित द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री पंडित द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि जुलाई, 2020 में विधिवत् प्रभार हस्तांतरित कर दिया गया था। प्रभार हस्तांतरण के उपरांत कार्यालय अभिलेखों के संरक्षण एवं संधारण की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय एवं उत्तराधिकारी पदाधिकारी की होती है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा पुनः बताया गया कि यदि अभिलेख जमा नहीं किये गये थे तो उस संबंध में निर्गत किसी पत्र, स्मार पत्र अथवा डाक/प्रेषण प्रमाण की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गयी थी।

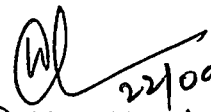
श्री राजाराम पंडित के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त आरोप पत्र एवं उक्त आरोप पर श्री पंडित द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री पंडित द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री राजाराम पंडित, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-220362), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रानीगंज (अररिया) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमौर (पूर्नियां) को प्रतिवेदित आरोप से मुक्त करते हुये भविष्य में अपने कार्य के प्रति सजग रहने का निदेश दिया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

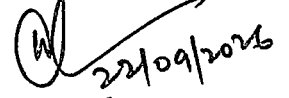
बिहार राज्यपाल के आदेश से


(नलिन प्रताप राणा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

अधिसूचना सं०:- 6278738 / पटना, दिनांक :- 23/07/2026

संचिका सं०- R-504/26/2023-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-249049)

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

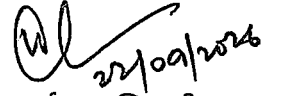


विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 6278738 / पटना, दिनांक :- 23/07/2026

संचिका सं०- R-504/26/2023-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-249049)

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, अररिया एवं पूर्णियां/उप विकास आयुक्त, अररिया एवं पूर्णियां/ कोषागार पदाधिकारी, अररिया एवं पूर्णियां/प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/श्री राजाराम पंडित, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-220362), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रानीगंज (अररिया) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमौर (पूर्णियां)/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्श हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

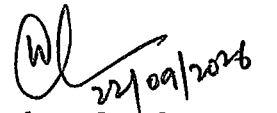


विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 6278738 / पटना, दिनांक :- 23/07/2026

संचिका सं०- R-504/26/2023-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-249049)

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।



विशेष कार्य पदाधिकारी